संख्या-21/2018/सा-3-484/दस-2018/308/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक : 19 सितम्बर, 2018

विषय :- वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुये राजकीय कार्मिको की असाधारण पेंशन पुनरीक्षण के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पे0नि0/एम0आई0 51899/2018-2461 दिनांक 19 फरवरी, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा वर्ष 2016 के पूर्व के सेवाकाल में मृत हुये राजकीय कार्मिको जिनके आश्रित को असाधारण पेंशन स्वीकृत हुयी है और जो दिनांक 01-01-2016 को असाधारण पेंशन प्राप्त कर रहे है, कि असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने की व्यवस्था वित्त (सामान्य)अनु0-3 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 18-07-2017 में नहीं है उक्त प्रकृति के प्रकरणो का शासनादेश दिनांक 18-07-2017 में पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाना है, इस सम्बन्ध में शासन द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 18-07-2017 शासनादेश संख्या-38/2016-सा-3-923/दस-2016 दिनांक 23-12-2016 के क्रम में निर्गत किया गया है। अतः शासनादेश दिनांक 23-12-2016 में उक्त प्रकृति के प्रकरणों में पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने की व्यवस्था स्पष्ट है। तद्नुसार असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण किया जाये।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-21/2018/सा-3- 484(1)/दस-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-रेनू पाठक पत्नी स्व0 चन्द्रप्रकाश पाठक 02 मोतीझील परिसर के0डी0ए0 कैम्पस कानपुर।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।